न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक

(सुश्री रजनी मीणा, आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)

अपील संख्याः 02 / 2021

निर्णय दिनांकः– 09.04.2021

उनवान

श्रीमती रोशन्ती देवी पत्नी मीठालाल जाति मीना निवासी अटुणाकलां तहसील व जिला सवाई माधोपुर

–अपीलान्ट

बनाम

1. किशनगोपाल पुत्र चन्द्रा जाति मीना निवासी आसलगांव तहसील उनियारा जिला टोंक
2. बरदया पुत्र चन्द्रा जाति मीना निवासी आसलगांव तहसील उनियारा जिला टोंक
3. सरपंच ग्राम पंचायत खातोली तहसील उनियारा जिला टोंक

–रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व नामान्तरकरण संख्या 446 दिनांक 27.08.2020
ग्राम पंचायत उखलाना तहसील उनियारा जिला टोंक

उपस्थितः– श्री रामस्वरूप मीणा वकील अपीलान्ट
श्री बैणी प्रसाद मीणा वकील रेस्पोडेन्ट न0 1 व 2

निर्णय

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार हैः–

यह कि अपीलान्ट ने तत्कालिन खातेदारान रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के खातेदारी की भूमि खाता संख्या 36 ख0न0 717 रकबा 1.72 है वाके ग्राम आसलगांव तहसील उनियारा को जरियें रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 31.07.2020 को खरीदकर मोके पर कब्जा प्राप्त किया था, जिस पर खरीद के समय ही अपीलान्ट का कब्जा काश्त चला आ रहा हैं।

उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र का नामान्तकरण अपने पक्ष मे खुलवाने हेतकु आवेदन पेश किया, जिस पर पटवारी हल्का द्वारा नामान्तकरण संख्या 446 दिनांक 27.08.2020 को खोलकर प्रकियाधीन चल रहा है।

उक्त नामान्तकरण की जॉच हेतु ग्राम पंचायत उखलाना को भिजवाया गया, परन्तु ग्राम पंचायत उखलाना द्वारा अपनी हटधर्मिता व पद का दुरूपयोग करत हुए बिना किसी बैध अधिकार उक्त नामान्तकरण दिनांक 07.10.2020 को "**जानकारी के अभाव मे अस्वीकार किया गया**" का अंकन दर्ज करते हुए अस्वीकार कर दिया गया ।

रेस्पोडेन्ट न0 3 सरपंच ग्राम पचायत उखलाना को उक्त नामान्तकरण अस्वीकार करने का कोई हक व अधिकार नही था, क्योकि अपीलान्ट ने सद्भवी केता से उनका मोके पर कब्जा

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

काश्त एवं मालिकाना हक होने के आधार पर उक्त भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र पर खरीद की थी, जिसका नामान्तकरण अपीलान्ट के पक्ष मे खोला जाकर अपीलान्ट को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायोचित व विविसंगत है।

अपीलान्ट का निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 446 दिनांक 27.08.2020 को स्वीकार करते हुए अपीलान्ट के पक्ष में वादग्रस्त आराजी ख0न0 717 रकबा 1.72 है का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

उक्त अपील पेश होने पर रिपोर्ट सरिस्ते ली जाकर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया।

रेस्पोडेन्ट न0 1व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री बैणीप्रसाद मीना ने जवाब पेश किया रेस्पोडेन्ट न0 3 बावजूद तामील नोटिस रेस्पोडेन्ट के उपस्थित नही होने से रेस्पोडेन्टस् के विरूद्व को एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

वकील अपीलान्ट की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। अपीलान्ट के वकील ने अपील मे वर्णित तथ्यों का दोहरान करते हुये कथन किया कि ख0न0 717 रकबा 1.72 है वाके ग्राम आसलगांव तहसील उनियारा को जरियें रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 31.07.2020 को खरीदकर मोके पर कब्जा प्राप्त किया था, जिस पर खरीद के समय ही अपीलान्ट का कब्जा काश्त चला आ रहा हैं। जिस पर पटवारी हल्का द्वारा ग्राम आंसलगांव के नामान्तकरण संख्या 446 दिनांक 27.08.2020 को खोलकर प्रकियाधीन चल रहा है। बाद जांच भू अभिलेख निरीक्षक के उक्त नामान्तरकरण निर्णय हेतु ग्राम पंचायत उखलाना को भिजवाया गया, परन्तु ग्राम पंचायत उखलाना द्वारा अपनी हटधर्मिता व पद का दुरूपयोग करते हुए बिना किसी बैध अधिकार उक्त नामान्तकरण दिनांक 07.10.2020 को **''जानकारी के अभाव मे अस्वीकार किया गया''** का अंकन दर्ज करते हुए अस्वीकार कर दिया गया । अतः अपीलान्ट के पक्ष मे नामान्तकरण खोला जाकर अपीलान्ट को खातेदार काश्तकार घोषित किया। रेस्पोडेन्ट न0 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता ने बहस मे कथन किया कि वे उक्त नामान्तकरण अपीलान्ट के पक्ष में खोलकर अपीलान्ट को खातेदार काश्तकार घोषित करने मे कोई आपत्ति नही हैं ।

उभय पक्षों के वकील की बहस सुनी गई। बहस पर गौर किया गया। पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो एंव बहस के आलोक में यह बखूबी साबित है कि अपीलाधीन भुमि के खातेदार काश्तकारो द्वारा अपनी भुमि के पंजीबद्व विक्रय पत्र को पूर्णरुपेण स्वीकार किया है। विक्रताओ एंव क्रेता द्वारा भूमि के हस्तान्तरण मय कब्जा के पंजीबद्व करवाये जाने एंव उसकी स्वीकारोक्ति के बाद नामान्तरकण अस्वीकार किया जाने का कोई कारण नही बनता है। मुताबिक भू अभिलेख नियम के निर्णयकर्ता द्वारा अपने निर्णय में स्पष्ट रुप से अस्वीकार के कारणो का उल्लेख किया जाना चाहिये था। नामान्तकरण को जानकारी

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

के अभाव में अस्वीकार करने का ग्राम पंचायत को अधिकार नही है। अतः नामान्तरकरण के निर्णय में ''**जानकारी के अभाव मे अस्वीकार किया गया**'' का अंकन दर्ज करते हुए अस्वीकार कर दिया गया जो न्यायोचित नही है।

उपरोक्त विवेचन से न्यायालय अपीलान्ट की अपील को स्वीकार करना उचित समझता है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की उक्त नामान्तरकरण संख्या 446 वाके ग्राम आसंलगांव को खारिज किया जाकर तहसीलदार उनियारा को आदेशित किया जाता है कि वे अपीलाधीन विक्रय पत्र के अनुसार उक्त नामान्तकरण की जांच नियमानुसार करके पुनः विक्रय का नामान्तकरण तस्दीक करे।

यह निर्णय आज दिनांक 09.04.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सुश्री रजनी मीणा
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी उनियारा
जिला टोंक